Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ▌ई–मेल - jrrsu@yahoo.com ▌टेलीफैक्स: 0141-2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / शैक्ष.–36वींविद्यापरिषद् / 2026 / दिनांक :

बैठक कार्यवाही विवरण

कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2026 को दोपहर 12:15 बजे विद्यापरिषद् की 36वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही:–

1. डॉ. गुंजन सोनी, कुलसचिव
2. प्रो. शालिनी सक्सैना, संकायाध्यक्ष आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय
3. डॉ. यशस्पति झा, संकायाध्यक्ष, वेद–वेदांग संकाय
4. डॉ. दिवाकर मिश्र, संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय
5. डॉ. स्नेहलता शर्मा, संकायाध्यक्ष, साहित्य–संस्कृति संकाय
6. डॉ. महेश शर्मा, संकायाध्यक्ष, दर्शन / श्रमण विद्या संकाय
7. डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा, संयोजक अध्ययन मण्डल ज्योतिष
8. डॉ. शशि कुमार शर्मा, संयोजक अध्ययन मण्डल व्याकरण
9. डॉ. देवेन्द्र कुमार, संयोजक अध्ययन मण्डल वेद एवं पौरोहित्य
10. डॉ. सीमा जैन, संयोजक अध्ययन मण्डल साहित्य एवं भाषा विज्ञान
11. डॉ. इन्दिरा खत्री, संयोजक अध्ययन मण्डल हिन्दी
12. डॉ. कमल किशोर सैनी, संयोजक अध्ययन मण्डल राजनीति विज्ञान
13. डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत, संयोजक अध्ययन मण्डल पर्यावरण अध्ययन
14. डॉ. अशोक पलसानिया, संयोजक अध्ययन मण्डल शारीरिक शिक्षा
15. डॉ. सम्पर्क आचार्य, संयोजक अध्ययन मण्डल शिक्षा
16. डॉ. नारायण होस्मने, विभागाध्यक्ष वेद एवं पौरोहित्य
17. डॉ. रामेश्वर नाथ द्विवेदी, संयोजक अध्ययन मण्डल दर्शन
18. डॉ. हितेन्द्र धनुष्कर, संयोजक अध्ययन मण्डल जैन दर्शन / श्रमण विद्या
19. डॉ. शत्रुघ्न सिंह, संयोजक अध्ययन मण्डल योग विज्ञान
20. डॉ. महेश कुमार शर्मा, प्राचार्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, नारेड़ा, जयपुर
21. डॉ. राजधर मिश्र, संयोजक विद्यापरिषद्
22. डॉ. शम्भु कुमार झा, सह–संयोजक विद्यापरिषद्

बैठक का आरम्भ मंगलाचरण से किया गया एवं सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक के एजेण्डे पर सदन द्वारा विस्तृत चर्चा की गई एवं निम्नानुसार अभिशंषाएं की गई:–

क्र. सं.	विवरण	अभिशंसा
1.	विद्यापरिषद् द्वारा सहयोजित 3 शिक्षाविदों का मनोनयन।	सदन द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त अधोलिखित शिक्षाविदों को विद्यापरिषद् सदस्य के रुप में मनोनीत किये जाने की अभिशंसा की गई:– 1. प्रो. आँचल मीणा, राजकीय टी.टी. महाविद्यालय, राजगढ़, अलवर 2. प्रो. विष्णुपद महापात्र, दर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 3. प्रो. कुलदीप शर्मा, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
2.	सत्र 2026–27 का पाठ्यक्रम	
	अ. वेद–वेदांग संकाय	प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	ब. साहित्य एवं संस्कृति संकाय	प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	स. आधुनिक ज्ञान–विज्ञान संकाय	• प्रो. शालिनी सक्सेना संकायाध्यक्ष आधुनिक ज्ञान–विज्ञान द्वारा एनसीआरएफ–2023 के प्रारुप में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया जो कि समस्त संकायों में लागू होगा। • आधुनिक ज्ञान–विज्ञान संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान का एनसीआरएफ प्रारुप में पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	द. शिक्षा संकाय	शिक्षा संकाय के पाठ्यक्रम के संबंध में सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई कि प्रस्तुत शिक्षा संकाय के पाठ्यक्रमों – शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य को संकाय स्तर पर ही तीन सदस्यीय समिति (विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकायाध्यक्षों) से रिव्यू करवाकर पाठ्यक्रम लागू किया जावें।
	य. श्रमण–विद्या संकाय पाठ्यक्रम (जैन दर्शन एवं प्राकृत जैनागम के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर)	प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	र. दर्शन संकाय • सामान्य दर्शन, न्याय दर्शन, निम्बार्क दर्शन–I & II Sem. • योग विज्ञान विभाग (i) बीए/बीएससी और एमए/एमएससी, पीजीडीवाईटी पाठ्यक्रम। (ii) नवीन एकवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम – पंचकर्म एवं योग वेलनैस।	दर्शन संकाय प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। • बीए/बीएससी और एमए/एमएससी, पीजीडीवाईटी पाठ्यक्रम (NCRF प्रारुप) का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। • डॉ. शत्रुघ्न सिंह, स0आ0योग द्वारा प्रस्तुत नवीन एकवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम – पंचकर्म एवं योग वेलनैस का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रस्तुत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2026–27 से प्रारम्भ (40 सीट) किये जाने की संस्तुति की गई। पाठ्यक्रम शुल्क 6000/– निर्धारित किया गया।
	विशेष : जो पाठ्यक्रम टंकित होकर प्रस्तुत नहीं किये गये है उनको टंकित कर प्रस्तुत करवाये जाने हेतु संबंधित संकायाध्यक्ष को अधिकृत किया गया तथा टंकित कर प्रस्तुत करवाने पर ही वेबसाईट पर प्रस्तुत किये जाने की अभिशंसा की गई। समस्त पाठ्यक्रम नियमावली, पाठ्यचर्या, अंक विभाजन इत्यादि संबंधित संकायाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर वेबसाईट पर प्रस्तुत किये जावेंगे।	
3.	प्रवेश विवरणिका 2026–27	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	छात्रावास विवरणिका 2026–27	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5.	विश्वविद्यालय परिसर में शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन के लिए केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ।	• विश्वविद्यालय परिसर में शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन के लिए केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए बजट के लिए सरकार को भेजा जावें। बजट प्राप्त होने पर शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केन्द्र की क्रियान्वित की जावें। • साथ ही सदन में डॉ महेश शर्मा संकायाध्यक्ष दर्शन द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जावें जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	शैक्षणिक सत्र 2026–27 के संबंध में दिनांक 09.04.2026 प्रवेश प्रक्रिया, विज्ञापन, छात्रावास, ब्रोशर व विवरणिका निर्माण इत्यादि विषयों पर निदेशक शैक्षणिक परिसर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7.	निदेशक शैक्षणिक परिसर द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारण करने के संबंध में गठित समिति का बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।	प्रकरण में सदन द्वारा अभिशंसा की गई कि एक आन्तरिक समिति बनाई जावें जो शुल्क के विषय में पृथक्–पृथक् निर्धारित शुल्कों की समीक्षा कर रिपोर्ट कुलगुरु महोदय को प्रस्तुत करेगी जो समिति निर्धारण हेतु सदन द्वारा कुलगुरु महोदय को अधिकृत किया गया।
8.	योग विभाग में वर्तमान में एम.ए./एम. एस.सी. प्रथम वर्ष योगा में 120 सीट को बढ़ाकर 240 सीट किये जाने का आदेश क्रमांक 233–239 दिनांक 25.06.2026 अनुमोदनार्थ।	सत्र 2026–27 के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
9.	डॉ. स्नेहलता शर्मा जी, विभागाध्यक्ष, साहित्य द्वारा प्राप्त पत्र आचार्य प्रवेश हेतु प्रस्ताव।	प्रकरण में विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सदन द्वारा अभिशंसा की गई कि वर्तमान में संचालित दो वर्षीय आचार्य पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ–साथ एकवर्षीय आचार्य तथा

		इसके साथ दो वर्षीय आचार्य भी संचालित रहेगा। डॉ. स्नेहलता शर्मा जी, विभागाध्यक्ष, साहित्य द्वारा प्राप्त पत्र आचार्य प्रवेश (संस्कृत रहित) का प्रस्ताव को अनुपयुक्त मानते हुए निरस्त किया गया।
10.	परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय में बी.ए./बी.एस.सी (योग), एम.ए./एम.एस.सी (योग) एवं परम्परागत शास्त्री/आचार्य कक्षाओं में अलग–अलग स्वर्ण पदक दिये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ।	पारम्परिक शास्त्री, आचार्य, बी.ए., एम.ए. में पूर्ववत् स्वर्ण पदक दिए जाए एवं बी.ए./बी.एस.सी (योग), एम.ए./एम.एस.सी (योग) में पृथक् से स्वर्ण पदक दिये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11.	कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में आयोजित परीक्षा समिति की बैठक में परीक्षा एवं पाठ्यक्रम के संबंध में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु। (परीक्षा अनुभाग का यू. ओ. नोट क्रमांक 732–733 दिनांक 10.07.2026)	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
12.	Diploma in Research Methodology, Manuscript & Palaeography पाठ्यक्रम	डॉ. शशि कुमार शर्मा, सहायक आचार्य द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम को एनसीआरएफ प्रारुप में प्रस्तुत किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13.	डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक मंत्र प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत 1. वैदिक वाङ्मय एवं मन्त्र विज्ञान प्रमाण पत्र 2. ज्योतिष डिप्लोमा पाठ्यक्रम 3. वास्तु डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	प्रकरण में सदन द्वारा सर्वसम्मति से अभिशंसा की गई अनौपचारिक रुप से पाठयक्रमों का निशुल्क संचालन किया जावें। साथ ही CSU में संचालित पाठ्यक्रम यथा कौशल संवर्द्धन पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय परिसर में निशुल्क पढ़ाये जावें।
14.	परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव। समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अग्रिम सत्र से – 1. डिजिटल कॉपी विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रों को 1.00 घण्टा पूर्व उपलब्ध करवाया जाएगा हार्ड कॉपी प्रश्न–पत्र प्रेषित नहीं किये जायेगें। तदर्थ – केन्द्र पर प्रिन्टर, कम्प्यूटर, वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था, स्केनर आवश्यक रूप से चाहिए। इन्टरनेट को समुचित व्यवस्था। 2. सीसीटीवी कैमरामय उपवेशन कक्ष, समुचित फर्निचर, सुविधाऐं छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग। 3. रैम्प, मैदान, पेयजल, सार्वजनिक यातायात वाहन सुविधा आवश्यक रूप से हो। 4. स्ट्रांग रूम उत्तरपुस्तिकाओं के लिए। 5. प्राथमिक उपचार सामग्री। 6. नवीन परीक्षा केन्द्र हेतु उपर्युक्त व्यवस्थाओं के साथ यह भी सुनिश्चित हो कि 40–50 किलोमीटर के अन्तराल में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से स्थापित केन्द्र नहीं है।	प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
अन्य बिन्दु		
	प्रो. शालिनी सक्सेना द्वारा परीक्षा फार्म अग्रेषण शुल्क (स्वंयपाठी परीक्षार्थीयों हेतु) की विसंगति के संबंध में प्रस्ताव।	परीक्षा फार्म अग्रेषण शुल्क जो वर्तमान में 21 रु. है वह 25 रु. करने की सर्वसम्पति से अनुशंषा की गई है।

बैठक के अन्त में बैठक में पधारे समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शान्ति पाठ किया गया।

कुलसचिव

कुलगुरु